न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/132/2022	2022/427	30.09.2022	18.11.2022

1. साधू सिंह पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील नीमराना जिला अलवर सेवानिवृत्त भारतीय सैनिक —अपीलाण्ट

बनाम

2. तहसीलदार नीमराना जिला अलवर —रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार नीमराना दिनांक 19.09.2022 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 64/2022

उपस्थितः—
01—श्री नरेश चौधरी —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 19.09.2022 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम फौलादपुर के आराजी खसरा नम्बर 701, 706, 707, 703/2094, 717/2109, 719/2110, 717 व 719 के क्रमशः रकबा 0.10, 0.15, 0.18, 1.79, 0.35, 1.20, 2.00, 0.50 कुल किता 8 कुल अतिक्रमित रकबा 6.27 है० किस्म चारागाह व बारानी2 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम फौलादपुर के आराजी खसरा नम्बर 701, 706, 707, 703/2094, 717/2109, 719/2110, 717 व 719 के क्रमशः रकबा 0.10, 0.15, 0.18, 1.79, 0.35, 1.20, 2.00, 0.50 कुल किता 8 कुल अतिक्रमित रकबा 6.27 है० किस्म चारागाह व बारानी2 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 24.08.2022 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। विवादित आराजी पर किसी भी सक्षम व्यक्ति को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गयी। अपीलांट भारतीय सेवा से सेवानिवृत सैनिक है तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सेना में घायल होकर विकलांग होने वाले सैनिकों को 25 बीघा कृषि भूमि निःशुल्क आवंटित की जाती है। जिस पर अपीलांट को भूमि आवंटन की अनुशंसा की गयी। कैम्प मुख्यालय बहरोड पर दिनांक 27.09.1975 को अपीलांट का ग्राम फौलादपुर में गत खसरा नम्बर 359 किस्म सिवायचक में से 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट वक्त आवंटन से उक्त आराजी पर काबिज है। जिस भूमि में से 10 बीघा का गैर खातेदारी अधिकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से दिया गया तथा शेष 15 बीघा का गैर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा कार्य करने पर तत्कालीन राजस्व मंत्री द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.08.1998 के द्वारा खसरा नम्बर 701, 703/2094, 717, 719 को अपीलांट को आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की गयी और मुताबिक आदेश क्रमांक 2935—38 दिनांक 12.04.1998 को जिला कलक्टर अलवर द्वारा अपीलांट को भूमि का आवंटन किया गया। राज्य सरकार द्वारा भूमि का आवंटन के बाद उस भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर कार्यवाही की गयी है। स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा राजनितिक रंजीशवश अपीलांट के विरूद्ध एक रिट पीटिशन मान0 उच्च न्यायालय राज0 जयपुर के समक्ष दायर की गयी। जिसके निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा एक पुनर्विचार याचिका मान0 उच्च न्यायालय जयपुर में दायर की हुई है जो विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाब में यह तथ्य जाहिर किया गया कि अपीलांट मौके पर 6.27 है0 भूमि पर अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी पर कोई नाजायज अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज फरमाया जावें।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा चारागाह भूमि पर कब्जा किया

जिला कलक्टर, अलवर

हुआ है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी की भूमि है। जिस पर किसी भी निजी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रोदभूत नहीं होते है। अपीलांट द्वारा अपील में स्वंय द्वारा यह तथ्य अंकित किये है कि माननीय उच्च न्याया0 जयपुर के समक्ष तत्कालीन सरपंच द्वारा पेश रिट याचिका के विरूद्ध अपीलांट द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गयी है। जिससे स्पष्ट है कि पूर्व रिट में अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया था। वर्तमान में भी माननीय उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दर्ज होने के कारण तथा अपीलांट का चारागाह भूमि पर कब्जा होने के कारण अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)